INDIA NON JUDICIAL

IN-UP01697275727986V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Signature Date: 30/8/23
ACC Name Ram Krishna Maurya
ACC. Code-U.P.14408604
ACC Add-Mungra Badshahpur
License No-436 Tah-Machhlishahar, JNP

₹100

Certificate No.	:	IN-UP01697275727986V
Certificate Issued Date	:	30-Aug-2023 01:37 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14408604/ MACHHLI SHAHAR/ UP-JNP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14408604989840421398 73V
Purchased by	:	SARVJANIK UCCH SIKSHA PRASAR SAMITI
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	MUNGRA BADSHAHPUR JAUNPUR
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SARVJANIK UCCH SIKSHA PRASAR SAMITI
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	SARVJANIK UCCH SIKSHA PRASAR SAMITI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

3905
30/8/23

CANCELLED

NOTARIAL NOTARIAL

Please write or type below this line

प्रारूप–(अ)

सत्र 2023–24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ–पत्र का प्रारूप

हम सत्येन्द्र सिंह एवं उदय सिंह क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव सोसाइटी/ट्रस्ट सार्वजनिक उच्च शिक्षा प्रसार समिति ग्राम–कमालपुर, पोस्ट– मुँगरा बादशाहपुर, तहसील–मछलीशहर, जिला–जौनपुर शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते है।

1. यह की हमारी सोसायटी/ट्रस्ट द्वारा सार्वजनिक फार्मेसी कालेज ग्राम–कमालपुर, पोस्ट– मुँगरा बादशाहपुर, तहसील–मछलीशहर, जिला–जौनपुर नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सन् 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह की हमारी सेसाइटी/ट्रस्ट/संस्था के नाम ग्राम–कमालपुर, पोस्ट– मुँगरा बादशाहपुर, तहसील–मछलीशहर, जिला–जौनपुर में स्थित है जिसका गाटा संख्या 42/0.142, 43/0.142, 45/0.085, 46/0.125, 47/0.231, 50/0.015, 51/0.023, 52/0.124, 56/0.040 एवं 57/0.069 हेक्टेयर कुल रकबा 0.996 हेक्टेयर भूमि है।

NOTARY LALJI YADAV Advocate Machhalishahar Jaunpur U.P. GOVT. OF INDIA

उदय सिंह
सचिव/प्रबन्धक
सार्वजनिक उच्च शिक्षा प्रसार समिति
मुँगरा बादशाहपुर

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com ... Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

3. यह की उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नही चल रहा है, और भूमि विवादरहित है।

4. यह की उपरोक्त पते पर सोसायटी/ट्रस्ट/संस्था के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 42/0.142, 43/0.142, 45/0.085, 46/0.125, 47/0.231, 50/0.015, 51/0.023, 52/0.124, 56/0.040 एवं 57/0.069 हैक्टेयर कुल रकबा 0.996 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/संस्था की बैठक दिनांक 03 जुलाई 2022 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह की उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनो का निर्माण अनुमोदित नक्से के अनुसार किया गया है।

6.यह की निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट/संस्था के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह की इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली के नियमो के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनो में फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिसर/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य सस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई. टी.आई. आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह की सस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली एव प्रावधिक शिक्षा परिषद के मानको के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह की संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह की शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशो/आदेशो का भली भाँति पालन करूगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परीषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई भी विधिक कार्यवाही नही की जायेगी।

13. मै घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वार दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है, यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानूनसंगत कार्यवाही की जा सकेगी। एसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मै स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

सचिव/प्रबन्धक
सार्वजनिक उच्च शिक्षा प्रमार समिति
मुंगरा ... जौनपुर
हo सचिव

...tified that Shri/Smt/Km. ... S/o-W/o-D/o- ... presented this affidavit before me. The ... 30/8/23 ... by ... Lalji Yadav ... ries Act 1952 ... davit ... under stands of ... him. The deponent ... by shri ...

सचिव/प्रबन्धक
सार्वजनिक उच्च शिक्षा ...
मुंगरा बादशाहपुर, जौनपुर
हo अध्यक्ष

NOTARY ... LALJI YADAV Advocate Machhali ... Jaunpur (U.P.) RN 19562 ... GOVT. OF INDIA

LALJI YADAV
Adv...